

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 347/वि०स०/संसदीय/45(सं)/2017

लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2017

अधिसूचना

विविध

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-2(ज) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री रामगोविन्द चौधरी, सदस्य, विधान सभा एवं नेता समाजवादी पार्टी विधान मण्डल दल को दिनांक 27 मार्च, 2017 से उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 347/(1-16)वि०स०/संसदीय/45(सं)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-श्री रामगोविन्द चौधरी, मा० नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश, विधान सभा,
- 2-विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
- 3-मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को मा० मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 4-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 5-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 7-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 8-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 9-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 10-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 11-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 12-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 13-निदेशक, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश,
- 14-निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा,
- 15-निजी सचिव, मा० नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा,
- 16-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।